बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 206798 पटना, दिनांक- 24/10/14

RD/SRLM/02/2012

प्रेषक,

एस0एम0राजू,

सचिव ।

सेवा में,

आयुक्त, स्वरोजगार -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
सभी जिला परियोजना प्रबंधक,
सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक,
बिहार ।

विषयः- SGSY **योजना अंतर्गत निर्मित भवनों को ग्राम संगठनों को हस्तांतरित करने के संबंध में ।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि SGSY आधारभूत संरचना मद से विभिन्न श्रेणी के भवनों का निर्माण अलग-अलग अवधि में पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कराया गया है । इनका मूल उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षण देना, उनका कौशल विकास करना, क्षमता संबर्द्धन करना तथा स्वरोजगार के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है ।

2. आप अवगत हैं कि अब SGSY NRLM के साथ Subsume हो चुका है एवं इनके उद्देश्य एक ही है । अतएव यह आवश्यक है कि इस योजना के अंतर्गत निर्मित भवनों को NRLM के अंतर्गत गठित ग्राम संगठनों को हस्तांतरित कर दिया जाय ताकि इन भवनों को पूर्ण उपयोग योजना के मूल उद्देश्यों को पूरा करने में किया जा सकें । संबंधित जिले के DPM संबंधित DDC से सूची प्राप्त कर सूची में अंकित ऐसे भवनों का भौतिक सत्यापन भी करा लेंगे ।

3. चूँकि भवनों का निर्माण कहीं अधूरा है, और कहीं-कहीं इन भवनों की आंशिक/ पूर्ण मरम्मती की भी आवश्यकता होगी, इसलिए इन भवनों की देख-रेख एवं मरम्मती बिहार सरकार के संकल्प के अनुसार भारत सरकार के दिशा-निर्देश Frame work for implementation of NRLM के अध्याय- 3 के अंतर्गत कुल बजट में से आधारभूत संरचना के तहत उपलब्ध कराई गई 20 प्रतिशत राशि से किया जाएगा ।

4. इन भवनों का रंग पूरे राज्य में विशिष्ट पहचान हेतु एक होगा । इस संबंध में शीघ्र विभाग द्वारा अलग से दिशा- निर्देश उपलब्ध कराया जाएगा ।

5. यदि भवन में फर्श बैठने लायक नहीं हो तो ऐसे में फर्श पर vitrified tiles भी उक्त राशि से लगाया जा सकेगा, जिसकी सीमा अधिकतम 75 रूपये होगी । (विशिष्टताओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-1330 दिनांक- 04.02.2008 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए) ।

6. प्रत्येक भवन में अनिवार्य रूप से शौचालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए एक और पुरूषों के लिए एक शौचालय अलग से होगा । चापाकल भी लगाया जाएगा ।

7. यदि तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो तो ग्रामीण विकास विभाग के प्राधिकृत आर्किटेक्ट Sen & lal company से संपर्क किया जा सकता है ।

8. इन भवनों के renovation कार्य को सभी DPM द्वारा मिशन मोड में कराते हुए इस दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण कराकर संबंधित/ नजदीकी ग्राम संगठन को हस्तगत करा देना है । इसमें किसी तरह की लापरवाही के लिए संबंधित जिले के DPM जिम्मेवार होंगे । DPM को इस कार्य में जिला प्रशासन (यथा-जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी) से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा ।

9. यदि इन भवनों का प्रयोग कहीं भी Skill development के कार्य हेतु कोई PIA (Project implementing Agency) करती है, तो भवन का उपयोग करते हुए सरकारी दिशा-निर्देश के आलोक में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से भवन के भाड़े की दर निर्धारित कराकर प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति के खाते में राशि जमा कराना अनिवार्य होगा ।

10. प्रत्येक प्रखंड में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी SRLM के कार्यों की देख-रेख एवं अनुश्रवण हेतु प्रखंड स्तरीय समिति का अनिवार्य रूप से गठन कर विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन भी भेजना सुनिश्चित करेंगे । इस कार्य में उनकी सहायता BPM करेंगे ।

11. प्रत्येक जिले में उप विकास आयुक्त, एक सहायक परियोजना पदाधिकारी को NRLM के गतिविधियों के संचालन हेतु नोडल पदाधिकारी बनाएंगे जो BPM की मदद से प्रत्येक सप्ताह योजना की समीक्षा कर जिला पदाधिकारी को अवगत कराएँगे ।

12. इन भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा से वृक्षारोपण कराया जायेगा । यदि भवन के सामने गढ़ढा इत्यादि हो तो मनरेगा से इन गढ़ढों को भराया जा सकता है । भवन के एक परिसर निर्माण हेतु तार से घेराबंदी किया जा सकता है । समान रूप से इन भवनों का नाम 'जीविका भवन' होगा तथा डिसप्ले बोर्ड पर DM/DDC/DPM/BDO/PO/BPM का मोबाइल संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा ।

13. प्रत्येक प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर उनके प्रखंड में ऐसा कोई भवन अनाधिकृत रूप से किन्हीं व्यक्ति के कब्जे में हो तो उसे खाली कराकर BPM को हस्तगत करायें ।

अनुलग्नक- (ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक- 1330 दिनांक- 04.02.2008)

विश्वासभाजन

(एस0एम0राजू)
सचिव 24/10/14

ज्ञापांक 206798 पटना, दिनांक 24/10/14

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव 24/10/14

ज्ञापांक 206798 पटना, दिनांक 24/10/14

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव 24/10/14

(84) 16

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक— 1330 /ग्रा.वि.वि. पटना दिनांक— 04.2.08
ग्रा०वि०2स्था० 06–05/07

अनौपचारिक रूप से विमर्शित

प्रेषक,

अनूप मुखर्जी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वाराः— वित्त विभाग*

विषयः— ग्रामीण विकास विभाग के अधीन राज्य के 137 नवसृजित प्रखंडों में से 121 नवसृजित प्रखंडों एवं बोधगया में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–निरीक्षण कमरा, आवास निर्माण एवं परिसर विकास तथा शेष 16 नवसृजित प्रखंडों में आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा, आवास निर्माण एवं परिसर विकास के निर्माण हेतु कुल 71354.48 लाख रुपये में से वित्तीय वर्ष 2007–08 में कुल 2540.00 लाख रुपये की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में सम्प्रति 534 प्रखंड है। इनमें से 137 प्रखंड नवसृजित है जिनका अपना प्रखंड कार्यालय एवं आवासीय भवन नहीं है ।

2. कुल 137 नवसृजित प्रखंडों में से 16 प्रखंडों में भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है (परिशिष्ट–क) उन प्रखंडों के लिए आवासीय भवन, निरीक्षण कमरे एवं परिसर विकास तथा बोधगया में पर्यटन विकास के लिए प्रखंड भवन को तोड़वाने के कारण बोधगया में भी प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–निरीक्षण कमरा, आवास निर्माण एवं परिसर विकास हेतु तथा शेष नवसृजित 121 प्रखंडों (परिशिष्ट–ख) के लिए प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–निरीक्षण कमरा, आवास निर्माण एवं परिसर विकास की आवश्यकता है ।

3. कुल 138 प्रखंडों में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–निरीक्षण कमरा, आवास निर्माण एवं परिसर विकास हेतु अगले चार वित्तीय वर्ष यथाः— 2007–08, 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 में सरकार ने कुल 71354.48 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति निम्न स्वरूप में प्रदान की है :—

(रूपया लाख में)

वित्तीय वर्ष	कार्यालय–सह–आवास यूनिट	रूपया	कुल रूपया	आवास (यूनिट)	रूपया	कुल रूपया	कुल रूपया
1	2	3	4	5	6	7	8
2007–08	32	538.84	17242.88	16	351.00	5616.00	22858.88
2008–09	40	538.84	21553.60	0	0.00	0.00	21553.60
2009–10	35	538.84	18859.40	0	0.00	0.00	18859.40
2010–11	15	538.84	8082.60	0	0.00	0.00	8082.60
कुल योगः	122		65738.48	16			71354.48

4. नमूना के तौर पर नालंदा जिला के नगरनौसा प्रखंड को चयन कर प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–निरीक्षण कमरा, आवास एवं परिसर विकास का नक्शा एवं प्राक्कलन बनाया गया है (परिशिष्ट–च) । तीन तल्ला प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह निरीक्षण कमरा का निर्मित क्षेत्रफल लगभग 2,267 वर्गमीटर है । रु. 8,500 प्रति वर्ग मीटर

अमुखर्जी

की दर से प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–निरीक्षण कमरा का अनुमानित मुल्य रु. 192.70 लाख है । स्थल विकास, चहारदीवारी, जलापूर्त्ति सड़क, विद्युत व्यवस्था, इत्यादि, पर और रु. 81.08 लाख लगेगा । 5 प्रतिशत आकस्मिकता के साथ कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 538.83 लाख होता है । प्राक्कलन में एकरूपता सारे स्वीकृत प्रखंडों में नहीं रहता है क्योंकि कुछ जगह बाढ़ग्रस्त है तो कुछ जगह में जल जमाव है तथा कुछ जगह समतल है । इसलिए अनुमान में लगभग 10–20 प्रतिशत घट–बढ़ हो सकता है । हर जगह का सर्वेक्षण कर उसका अलग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) बनाया जायेगा एवं उस पर सक्षम पदाधिकारी से तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ताकि उससे समय की बचत हो ।

5. इन कुल 138 प्रखंडों में से 31 नवसृजित प्रखंडों जहां जमीन उपलब्ध है (परिशिष्ट–ग) एवं बोधगया प्रखंड कुल 32 प्रखंडों में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–निरीक्षण कमरा, आवास निर्माण एवं परिसर विकास एवं 16 नवसृजित प्रखंड (परिशिष्ट–क) जिनमें पूर्व में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, में मात्र निरीक्षण कमरा, आवास एवं परिसर विकास का कार्य किया जाना है । इन पर कुल 22858.88 लाख रुपये की लागत आयेगी । इस आवश्यक राशि के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08 में उपबंधित राशि 2540.00 लाख रुपये है एवं पूर्व में वित्तीय वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 में आवंटित राशि के विरुद्ध जहां कार्य प्रारंभ नहीं हो सके, उसकी कुल राशि 2604.376 लाख रुपये जो भवन निर्माण एवं आवास विभाग के माध्यम से सिविल डिपोजिट में जमा है, को व्यय किया जायेगा ।

6. कुल 31 नवसृजित प्रखंडों जहाँ जमीन उपलब्ध है एवं बोध गया प्रखंड कुल 32 प्रखंडों में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–निरीक्षण कमरा, आवास निर्माण एवं परिसर विकास एवं 16 नवसृजित प्रखंड जिनमें पूर्व में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, मात्र निरीक्षण कमरा, अवास एवं परिसर विकास के कार्य के लिए आवश्यक अवशेष राशि 17714.504 लाख रुपये (22858.88–2540.00–2604.376 लाख रुपये) को राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वर्ष 2007–08 में ग्रामीण विकास विभाग के आय–व्ययक में मुख्य शीर्ष–2505 उपशीर्ष–0103 के अन्तर्गत उपबंधित 200.00 करोड़ रुपये में से 17714.504 लाख रुपये की राशि को मेजर हेड से माईनर हेड के लिए पुनर्विनियोग या प्रत्यर्पित कर समतुल्य राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर व्यय किया जायेगा ।

7. इस योजना का क्रियान्वयनः–

(i) खुले विज्ञापन के आधार पर चयनित वास्तुविदों द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) के अनुरूप किया जायेगा । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में संरचनात्मक निरूपण, पी०एच०ई०डी० आदि अन्य कार्यो का विस्तृत नक्शा, आतरिक संरचना का विस्तृत निरूपण आदि सम्मिलित रहेगा और इन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में ग्रीन आदि आर्टिटेक्चरल कन्सेप्ट रहेगा। इन्हीं वास्तुविदों द्वारा निविदा विपत्र भी तैयार किया जायेगा ।

(ii) वास्तुविदों द्वारा ही कार्य स्थल का सर्वेक्षण एवं मिट्टी की जाँच की जायेगी तथा चार स्तर पर यथा नीव स्तर, लिन्टल स्तर, छत स्तर तथा कार्य पूर्ण होने तक वास्तुविदों द्वारा सत्यापन किये जाने के बाद ही भुगतान किया जाएगा ।

(iii) इस काम को जिस संवेदक द्वारा किया जायेगा उसी संवेदक को असैनिक कार्य, पी.एच.ई.डी. कार्य, विद्युत कार्य तथा आंतरिक संरचना की जिम्मेदारी लेनी होगी और पाँच वर्ष तक भवन एवं लैन्ड स्केपिंग यथा बागवानी, वृक्षारोपण आदि की देख–रेख की जिम्मेवारी भी उसी संवेदक की होगी।

अमुखर्जी

(iv) निविदा कर्त्ताओं द्वारा अलग–अलग लिफाफें में तकनीकी विड एवं वित्तीय विड एक साथ दिया जायेगा । जिनकी तकनीकी विड स्वीकार योग्य होगी उन्हीं की वित्तीय विड खोली जाएगी तथा उस वित्तीय विड के आधार पर कार्य आवंटित किया जायेगा ।

(v) एक वर्ष में कुल जितनी जगहो पर भवन बनाये जाएगें उतनी जगहों के लिए एक ही बार निविदा की जायेगी और काम को संवेदकों की क्षमता के आधार पर आवंटित किया जायेगा ।

(vi) इस योजना का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग से कराया जाना है एवं ग्रामीण विकास विभाग के एक प्रतिनिधि को अपने कार्यो के अतिरिक्त इस कार्य हेतु भवन निर्माण में निविदा कराने से लेकर भवन का कार्य पूर्ण होने तक प्रतिनियुक्त किया जायेगा, जो अद्यतन स्थिति से विभाग को अवगत कराते रहेगें ताकि काम ससमय पूरा हो सके।

(vii) पूर्व में संलेख ज्ञापांक 9948 दिनांक 28.12.05 के आधार पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आलोक में जिन प्रखंडों में पूर्व निर्धारित योजना एवं प्राक्कलन के आधार पर कार्य शुरू हो चुका है वहाँ पूर्व योजना एवं प्राक्कलन के अनुरूप कार्य चलता रहेगा। परन्तु जहाँ कार्य शुरू नहीं हुआ है वहाँ वर्त्तमान में स्वीकृत योजना एवं प्राक्कलन के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

(viii) वर्त्तमान में सरकारी भवनों का रखरखाव नियमित रूप से नहीं हो रहा है । इसलिए प्रखंड कार्यालय में निर्मित होने वाले बैंक की शाखा एवं निरीक्षण कमरें को भाड़े पर दिया जायेगा एवं भाड़े की उसी राशि को प्रखंड भवन के रखरखाव पर खर्च किया जायेगा। इसके लिए एक भवन रखरखाव समिति का सृजन सोसाइटी एक्ट के तहत किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे और इस समिति के माध्यम से भाड़े का निर्धारण कर उसकी वसूली करेंगे तथा उसको प्रखंड भवन के रखरखाव पर खर्च करेंगे।

(ix) इन कार्यों के लिए चयनित वास्तुविदों को निम्नांकित दर पर भुगतान अगले आदेश तक किया जायेगा:–

क्रमांक	वास्तुविद द्वारा दिये गये दर
1	2
1	जेनरल आर्किटेक्चरल की परियोजना मूल्यांकन का 2.85 प्रतिशत,
2	आर्किटेक्चरल फी परियोजना के पुनरावृत्ति के लिए 2.85 प्रतिशत फी का 35 प्रतिशत
3	इनटिरियर डिजाइन फी परियोजना के कुल इनटिरियर लागत का 3.5 प्रतिशत,
4	परियोजना सुपरविजन फीस 1.80 प्रतिशत,
5	साईट का लेण्ड सर्वे प्रति एकड़ रु. 7,000/–,
6	मिट्टी जांच प्रति साईट रु. 30,000/–,

(x) इस परियोजना में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता होने पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा इसके लिए पुनः मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

8. इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08 में 2540.00 लाख रु. का योजना उदव्यय एवं बजटीय उपबंध है जो कि राज्य योजना के व्यय शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–0102–उत्तर प्रक्रम–2–प्रखंड लघु निर्माण

अनुवर्ती

(पत्र कोड–पी.–4515001030102) के विकास के अन्तर्गत 1401– लघु निर्माण कार्य इत्यादि मद में वित्तिय वर्ष–2007–08 में उपबंधित राशि से विकलनीय है ।

9. इस योजना की स्वीकृति प्राधिकृत समिति द्वारा ज्ञापांक 23 यो० प्रा०/यो०नि०, पटना, दिनांक 04.01.08 पृष्ठ 279/प० एवं मंत्रिपरिषद् की दिनांक 19.01.08 की बैठक में मद संख्या 10 के रूप में प्राप्त हो चुकी है जो कि संचिका संख्या ग्रा०वि०–2स्था० 06–05/07 के पृष्ट 43/टि० पर संधारित है।

10. इस योजना में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– ग्रा०वि०–2स्था० 06–05/07 के पृष्ट संख्या...45...../टि० पर प्राप्त हो चुकी है।

11. इस योजना से संबंधित स्वीकृत राशि को संबंधित उप विकास आयुक्तों द्वारा एकमुश्त निकासी कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अलग बचत बैंक खाता में संधारित कर उस खाता के माध्यम से व्यय किया जायेगा ।

12. वित्त विभाग के पत्रांक–2218वि०(2) दिनांक–16.03.02 एवं पत्रांक–7355वि०(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,
अमुखर्जी 1/2/08
(अनूप मुखर्जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 1330 /ग्रा.वि.वि. पटना दिनांक– 04.2.08

प्रतिलिपि:– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त (यथा:– परिशिष्ट–क से घ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:– सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/कम्प्यूटर कोषांग एवं प्रशाखा–6 (बजट), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:– मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

अमुखर्जी 1/2/08
प्रधान सचिव